

रूपधर पुजारी

बनाम

गंगाधर भातरा

5 अक्टूबर, 2004

[आर. सी. लाहोटी, सीजे, जी. पी. माथुर और प्रकाश प्रभाकर
नाओलेकर, जे. जे.]

पंचायत चुनाव:

उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964-धारा 34 और 38-वापस लौटे उम्मीदवार को पद पर निर्वाचित होने से अयोग्य घोषित करना और पराजित उम्मीदवार को मुन्सिफ द्वारा एकल उम्मीदवार घोषित करना- उच्च न्यायालय ने वापस आए उम्मीदवार की अयोग्यता को बरकरार रखा लेकिन फिर से चुनाव का आदेश दिया क्योंकि चुनाव याचिका में पराजित उम्मीदवार ने विशेष रूप से इस प्रभाव की घोषणा नहीं की कि वह चुना गया था-अपील पर, कहा गया: हारने वाला उम्मीदवार एकमात्र नामित उम्मीदवार होने के नाते, विधिवत निर्वाचित होने की उसकी घोषणा स्वाभाविक, स्पष्ट और अपरिहार्य परिणाम थी और फिर से चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी-इसके अलावा, उम्मीदवार को ऐसी राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए वह स्थापित तथ्यों पर हकदार पाया

गया था, क्योंकि राहत खंड स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था-इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और मुन्सिफ के आदेश को बहाल कर दिया गया।

विधियों की व्याख्या:

प्रक्रियात्मक कानून-पंचायत चुनावों और चुनाव याचिकाओं से संबंधित-की व्याख्या-कहा गया: प्रक्रियात्मक कानूनों की व्याख्या बहुत अधिक कठोरता के साथ नहीं की जा सकती है-उन्हें व्यावहारिक बनाने और न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उदारता से समझा जाना चाहिए- इसके अलावा, तकनीकी आपत्तियां जो पर्याप्त प्रभावी न्याय को पराजित और अस्वीकार करती हैं, उन्हें अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि कानून के जनादेश अनिवार्य रूप से इसकी आवश्यकता है।

सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ। उत्तरदाता को निर्वाचित घोषित किया गया। अपीलार्थी, एकमात्र पराजित उम्मीदवार, ने प्रत्यर्थी-लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देते हुए इस प्रभाव की घोषणा करने की मांग की कि प्रत्यर्थी का चुनाव अमान्य है और अपीलार्थी को एकमात्र विधिवत नामित उम्मीदवार घोषित करें। मुन्सिफ ने अयोग्यता के कारण प्रत्यर्थी के चुनाव को अलग कर दिया और घोषित अपीलार्थी पद के लिए विधिवत निर्वाचित एकल उम्मीदवार है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के चुनाव को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा, हालांकि, अधिकारियों को

फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिया क्योंकि राहत खंड में अपीलार्थी ने उसे निर्वाचित घोषित करने के लिए कोई राहत नहीं मांगी थी। अतः यह वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 पंचायत चुनावों से संबंधित प्रक्रियात्मक कानून और चुनाव याचिकाओं को बहुत अधिक कठोरता और बाल-विभाजन में लिप्त होकर व्याख्या करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रक्रिया के कानून प्रभावी और वास्तविक न्याय करने के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से विनियमित करने, बल देने और सहायता करने के लिए होते हैं। प्रक्रियात्मक कानूनों को वास्तव में न्याय की सहायक के रूप में काम करने, उन्हें व्यवहार्य बनाने और न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उदारता से समझा जाना चाहिए। तकनीकी आपत्तियाँ जो पर्याप्त और प्रभावी न्याय को हराने और अस्वीकार करने के लिए बाधाएँ होती हैं, उन्हें हतोत्साहित किए जाने के लिए सख्ती से देखा जाना चाहिए, सिवाय इसके कि कानून के जनादेश ने इसे अनिवार्य रूप से आवश्यक बना दिया है। (90-एच; 91-ए, बी)

सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) एल. आर. एस. और अन्य बनाम प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (मृत) एलआरएस और अन्य द्वारा, [2003] 3 एस. सी. सी. 272, संदर्भित।

1.3. तत्काल मामले में, प्रतिवादी को निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि केवल एक उम्मीदवार बचा था, अर्थात् अपीलार्थी। एक बार जब उन्हें एकमात्र विधिवत नामित उम्मीदवार पाया गया तो उन्हें अकेले निर्वाचित घोषित किया जाना था और निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव में जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी की विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषणा उसके एकमात्र विधिवत नामित उम्मीदवार होने का स्वाभाविक, स्पष्ट और अपरिहार्य परिणाम है। सामान्य तौर पर, एक वादी या याचिकाकर्ता को इस प्रभाव से राहत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसे निर्वाचित घोषित किया जाए, जिसके लिए वह स्थापित तथ्यों पर हकदार पाया जाता है, केवल इसलिए कि चुनाव याचिका में राहत खंड बहुत खुशी से नहीं लिखा गया है। इसलिए, मुन्सिफ ने प्रत्यर्थी के चुनाव के परिणामस्वरूप उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 की धारा 38 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को विधिवत निर्वाचित घोषित करने में सही था, अर्थात् एकमात्र अन्य उम्मीदवार को अमान्य कर दिया गया था। वास्तव में यही वह राहत थी जिसकी चुनाव याचिकाकर्ता ने मांग की थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को मुन्सिफ द्वारा दी गई उचित राहत में हस्तक्षेप करने और उसे दरकिनार करने में गलती की है। (91-सी, डी, ई, एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6507/2004

2003 के डब्ल्यू. ए. सं. 4856 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 20.2.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से सिबो शंकर मिश्रा और एन. के. नीरज।

उत्तरदाता की ओर से जनारंजन दास, श्वेतकेतु मिश्रा और सुश्री मौसमी गहलोट

न्यायालय का निर्णय दिया गया

आर. सी. लाहोटी, सीजे।

अनुमति दी गई।

सरपंच, पोंडोसगुडा ग्राम पंचायत, उड़ीसा के पद के लिए चुनाव फरवरी 2002 के महीने में उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964 (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। आठ उम्मीदवार थे जिनमें से छह ने चुनाव मैदान में केवल याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को छोड़कर प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया। मतदान 21.2.2002 पर हुआ। 28.2.2002 पर, प्रतिवादी को निर्वाचित घोषित किया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा याचिका पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले मुन्सिफ के न्यायालय में अधिनियम की धाराओं 30/31 के तहत एक चुनाव याचिका दायर करके प्रतिवादी के चुनाव को मुद्दा बनाया गया था। याचिका में राहत खंड प्रासंगिक है क्योंकि विवाद इसके आसपास केंद्रित है और इसलिए इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"इसलिए याचिकाकर्ता, माननीय न्यायालय से यह घोषणा करने के लिए प्रार्थना करता है कि विरोधी पक्ष का चुनाव अमान्य है और याचिकाकर्ता को 2002 के ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पोंडोसोगुडा के पद के लिए एकमात्र विधिवत नामित उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाए, वैकल्पिक रूप से सरपंच पोंडोसोगुडा के कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति घोषित की जाए और कलेक्टर कोरापुट/ऐसे संबंधित प्राधिकारी को रिक्ति, पुरस्कार, मामले की लागत को भरने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाए और ऐसी आगे की राहत/राहत दी जाए जिसे अदालत न्याय के हित में कानून के तहत उचित और उपयुक्त समझती है।"

(बल दिया गया)

विद्वान मुन्सिफ ने पाया कि प्रत्यर्थी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था-क्योंकि उनके नामांकन की तारीख को उनके दो से अधिक बच्चे थे, जो अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के खंड (v) के अर्थ के भीतर एक अयोग्यता है। उस निष्कर्ष को ध्यान में

रखते हुए, विद्वान मुन्सिफ ने चुनाव याचिका की अनुमति दी, प्रतिवादी के चुनाव को दरकिनार कर दिया और आगे घोषणा की कि "रूपधर पुजारी एकल उम्मीदवार होने के नाते पोंडोसगुडा ग्राम पंचायत के सरपंच के पद के लिए विधिवत चुने गए हैं।

प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने विद्वान मुन्सिफ के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा है कि प्रतिवादी को निर्वाचित होने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि अपीलार्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका के राहत खंड में उन्होंने उन्हें निर्वाचित घोषित करने के लिए कोई राहत नहीं मांगी थी। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के चुनाव को दरकिनार करते हुए, विद्वान मुन्सिफ द्वारा दिए गए परिणामी निर्देश को प्रतिस्थापित किया और निर्देश दिया कि यह अधिकारियों के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए खुला होगा, यानी फिर से चुनाव आयोजित करके। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है।

अधिनियम की धारा 34,40 और 38 की उप-धारा (1) और (2), जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार प्रदान करती हैं:-

"34. याचिकाकर्ता द्वारा दावा की जा सकने वाली राहत-एक याचिकाकर्ता, इस घोषणा का दावा करने के अलावा कि सभी या किसी भी

लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है, एक और घोषणा का दावा कर सकता है कि वह स्वयं या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत चुना गया है।

40. जिन आधारों के लिए लौटे उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है-यदि कोई व्यक्ति जिसने याचिका दायर की है, उसने लौटे उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के अलावा, एक घोषणा का दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है और मुन्सिफ की राय है कि

(क) वास्तव में याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों का बहुमत मिला है; या

(ख) लेकिन एक गलत तरीके से लौटे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों के लिए याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होगा;

38. मुन्सिफ का निर्णय-(1) यदि मुन्सिफ ऐसी जांच करने के बाद, जैसा कि वह आवश्यक समझता है, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में पाता है, जिसके चुनाव पर याचिका द्वारा सवाल उठाया गया है कि उसका चुनाव वैध था, तो वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ याचिका को खारिज कर देगा और अपने विवेक से लागत का अधिनिर्णय कर सकता है।

(2) यदि मुन्सिफ को लगता है कि किसी व्यक्ति का चुनाव अमान्य था, तो वह या तो

(ए) आकस्मिक रिक्ति सृजित किए जाने की घोषणा करेगा; या

(बी) किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा;

जो भी तरीका, मामले की परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है और दोनों ही मामलों में, अपने विवेकाधिकार पर लागत प्रदान कर सकता है।

XXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

पूर्व-उद्धृत प्रावधानों की योजना से पता चलता है कि एक चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से लौटे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती देता है और ऐसा करते समय वह एक और घोषणा का दावा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लौटे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के चुनाव को रद्द कर दिया गया है और टाल दिया गया है, कि वह खुद या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत चुना गया है। धारा 38 की उप-धारा (2) मुन्सिफ को किसी भी लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य किए जाने के मद्देनजर एक आकस्मिक रिक्ति घोषित करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। समान रूप से, मुन्सिफ के पास किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है। मुन्सिफ में

निहित दो वैकल्पिक शक्तियों में से किसका प्रयोग किया जाएगा, यह उनकी राय बनाने पर निर्भर करता है कि मामले की परिस्थितियों में दोनों में से कौन सी राहत अधिक उपयुक्त होगी। अधिनियम की धारा 40 की प्रयोज्यता तब आकर्षित होती है जब मामले की प्रकृति को देखते हुए मतों की वैधता की जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को वैध मतों का बहुमत मिला होगा। इस तरह के निष्कर्ष के आधार पर ऐसे अन्य उम्मीदवार को इस घोषणा के अलावा विधिवत निर्वाचित घोषित किया जा सकता है कि लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य था।

यह सच है कि वर्तमान मामले में चुनाव याचिका में राहत खंड बहुत खुशी से नहीं लिखा गया है। चुनाव याचिकाकर्ता को बेहतर सलाह दी जाती कि वह विशेष रूप से इस आशय की घोषणा की मांग करे कि वह चुना गया था। लेकिन हम इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकते कि पंचायत चुनाव ग्राम स्वराज प्रणाली का हिस्सा हैं। पंचायतों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में चुनाव और चुनाव याचिकाओं से संबंधित अधिकांश प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों के समान हैं। फिर भी पंचायत चुनावों और चुनाव याचिकाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक कानूनों को बहुत अधिक कठोरता और बाल-विभाजन में लिप्त होकर व्याख्या करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरदार अमरजीत सिंह

कटड़ा (मृत) मामले में एल. आर. एस. और अन्य बनाम प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (मृत) मामले में एल. आर. एस. और अन्य, [2003] 3 एस. सी. सी. 272 द्वारा हाल ही में लिया गया एक संविधान पीठ का निर्णय एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि प्रक्रिया की बन्दिशें प्रभावी ढंग से विनियमित करने, सहायता करने और ठोस और वास्तविक न्याय करने के उद्देश्य की सहायता करने के लिए होते हैं। प्रक्रियात्मक कानूनों को वास्तव में न्याय की सहायक के रूप में काम करने, उन्हें व्यवहार्य बनाने और न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उदारता से समझा जाना चाहिए। तकनीकी आपत्तियाँ जो पर्याप्त और प्रभावी न्याय को हराने और अस्वीकार करने के लिए बाधाएँ होती हैं, उन्हें हतोत्साहित किए जाने के लिए सख्ती से देखा जाना चाहिए, सिवाय इसके कि कानून के जनादेश ने इसे अनिवार्य रूप से आवश्यक बना दिया है।

इस मामले में, चुनाव मैदान में केवल दो उम्मीदवार थे। हालाँकि प्रतिवादी को निर्वाचित घोषित किया गया था, लेकिन विद्वान मुन्सिफ ने पाया कि उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसलिए उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि केवल एक उम्मीदवार बचा था, अर्थात् अपीलार्थी, और वह एकमात्र विधिवत नामित उम्मीदवार था। मतदान के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब उन्हें एकमात्र विधिवत नामित

उम्मीदवार पाया गया तो उन्हें ही निर्वाचित घोषित किया जाना था। निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी की विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषणा उसके एकमात्र विधिवत नामित उम्मीदवार होने का स्वाभाविक, स्पष्ट और अपरिहार्य परिणाम है। सामान्य तौर पर, एक वादी या याचिकाकर्ता को ऐसी राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए वह स्थापित तथ्यों पर हकदार पाया जाता है, केवल इसलिए कि राहत खंड बहुत खुशी से नहीं लिखा गया है। इसलिए विद्वत मुन्सिफ ने प्रत्यर्थी के चुनाव के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को विधिवत निर्वाचित घोषित करने का अधिकार था, अर्थात् एकमात्र अन्य उम्मीदवार को अमान्य कर दिया गया था। वास्तव में यही वह राहत थी जिसकी चुनाव याचिकाकर्ता ने मांग की थी। उच्च न्यायालय ने यहां अपीलार्थी को विद्वान मुन्सिफ द्वारा दी गई उचित राहत में हस्तक्षेप करने और उसे दरकिनार करने में गलती की है।

पूर्वगामी कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और विद्वान मुन्सिफ के फैसले को पूरे खर्च के साथ बहाल किया जाता है।

एन. जे.

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।